क्रम-संख्या—161

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 अप्रैल, 1981

चैत्र 24, 1903 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 946/सत्रह–वि0–1—35-81

लखनऊ, 14 अप्रैल, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिए जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, निःशुल्क असंक्रमणीय बस पास का भी हकदार होगा और उपधारा (1) के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी सदस्य पर लागू होते हैं।"

धारा 15 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "चालीस रुपये" रख दिए जायेंगे।

धारा 21-क का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"21-क--(1) नेता विरोधी दल के लिये उसकी सम्पूर्ण पदावधि में, उपयुक्त सवारी की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय और अनुरक्षण उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार सरकारी व्यय पर किया जायगा।

सवारी

(2) नेता विरोधी दल ऐसी अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायं।"

धारा 24 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

"(2) प्रत्येक व्यक्ति जो--

(एक) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण, या

(दो) धारा 23 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित सभा या परिषद् की अपनी सदस्यता,

के आधार पर, प्रथम बार, दिनांक 1 जनवरी, 1981 से पेंशन का हकदार हो गया हो, 1 जनवरी, 1977 से प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भी उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर पेंशन का हकदार होगा।"

आज्ञा से,

गंगाप्रकाश सिंह,

सचिव।

No. 946(2)/XVII-V-1—35-81

Dated Lucknow, April 14, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 198 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1981

[U. P. ACT NO. 10 OF 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1981. **Short title.**

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "five hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be *substituted*. **Amendment of section 4 of U. P. Act 23 of 1980.**

3. In section 13 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:— **Amendment of section 13.**

"(4) Every person who is entitled to a pension under Chapter VIII shall also be entitled to a free non-transferable bus-pass and the provisions of sub-section (1) shall, *mutatis mutandis*, apply to every such person as they apply to a member."

4. In section 15 of the principal Act, *for* the words "thirty rupees", the words "forty rupees" shall be *substituted*. **Amendment of section 15.**

5. *After* section 21 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— **Insertion of section 21-A.**

"21-A. (1) The Leader of Opposition shall, throughout the term of his office, be provided with a suitable conveyance purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf. Conveyance.

(2) The Leaders of Opposition shall be entitled to such other facilities as may be prescribed by rules made in this behalf."

6. The existing section 24 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :— **Amendment of section 24.**

"(2) Every person who has, for the first time, become entitled to a pension with effect from January 1, 1981 by virtue of—

(*i*) the Explanation to sub-section (1), or

(*ii*) his membership of the Assembly or Council as defined in clause (*a*) of section 23,

shall also be entitled to a pension, at the rate specified in the said sub-section (1) for the period commencing from January 1, 1977 and ending on December 31, 1980."

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 7 सा०(विधा०)—14-4-81—(156)—1981—900 (मेक०)